मो0 जलालुददीन अंसारी
बनाम
मधुकर सिंह व अन्य

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेष पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार– विविध वाद संख्या–10 / 2021–22

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई, कारिवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित

आदेश

28/11/23

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक उपस्थित है एवं द्वितीय पक्ष अनुपस्थित हैं। आवेदक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक मो0 जलालुददीन अंसारी उर्फ जमालुददीन अंसारी द्वारा लगान रसीद निर्गत करने के संबंध में आवेदन दिया गया है।

आवेदक मो0 जलालुद्दीन अंसारी उर्फ मो0 जमालुद्दीन अंसारी, पिता–स्व0 शेख सलीम अंसारी उर्फ शेख सलीमुद्दीन, निवास स्थान ग्राम+पो0–इरबा, थाना–ओरमांझी, जिला–रांची, वर्तमान निवास ग्राम–कांके पतरा टोली, थाना– कांके, जिला–रांची, झारखण्ड ने अपनी पिता की खरीदगी जमीन जो वाके मौजा–हुटुप, थाना नं0–29, थाना–ओरमांझी, जिला– रांची के अन्दर खाता नं0–72, प्लॉट नं0–386, रकबा–10 डिसमिल में अवस्थित है तथा खतियान में उक्त प्लॉट नं0–386 का कुल रकबा–10 डिसमिल ही है की अंचल कार्यालय, ओरमांझी रांची में 10–10 डिसमिल का दो व्यक्तियों के नाम से दोहरा जमाबंदी कायम रहने आर आवेदक के पिता सलीमुद्दीन उर्फ शेख सलीम की खरीदगी जमीन में उक्त खाता नं0–72, प्लॉट नं0–386 का रकबा–10 डिसमिल जमीन अंचल कार्यालय आरेमांझी के पंजी–II के भाग–3 के पेज नं0–246 से विलुप्त होकर रसीद निर्गत होने के संबंध में न्यायालय के समक्ष यह आवेदन दिया गया है।

आवेदक के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पिता शेख सलीमुद्दीन उर्फ शेख सलीम ने वर्ष 1936 ई0 को ठाकुर तिलकधारी सिंह, पिता–

बुढ़न सिंह से निबंधित विक्रय पत्र 2219 के द्वारा वाके मौजा–हुटुप, थाना नं0– 29, थाना ओरमांझी, जिला– रांची के अन्दर खाता नं0–72, प्लॉट नं0– 386, रकबा– 10 डिसमिल जमीन को खरीदगी केवाला द्वारा हासिल किये और अपने जीवनकाल तक शांतिपूर्वक काबिज वो दखलकार रहकर खेती करते रहे। आवेदक के पिता तत्कालीन जमींदार को उपरोक्त भूमि को लगान अदा कर अपने नाम से मालगुजारी रसीद प्राप्त करते रहे और जमींदारी उन्मुलन के पश्चात राज्य सरकार के यहाँ लगान अदा करते रहे, जो अंचल कार्यालय ओरमांझी के पंजी–II के भाग–3 के पेज नं0–246 में आवेदक के पिता सलीमुद्दीन के नाम से जमाबंदी दर्ज था। आवेदक के पिता शेख सलीमुद्दीन उर्फ शेख सलीम के स्वर्गवास होने के बाद उनके छः पत्र 1. अलाउद्दीन अंसारी, 2. मो0 जमालुद्दीन अंसारी उर्फ मो0 जलालुद्दीन अंसारी (आवेदक), 3. सलामत अंसारी, 4. जुमाउद्दीन अंसारी, 5. रबुल अंसारी वो 6. जबुल अंसारी, उक्त प्लॉट नं0– 386, रकबा–10 डिसमिल जमीन पर शांतिपुर्वक काबिज वो दखलकार रहते हुए खेती करते चले आ रहे हैं आवेदक के पुत्र के द्वारा खाता नं0–72, प्लॉट नं0– 385 एवं 386 रकबा– कमशः 47 डी0 एवं 10 डी0 का लगान रसीद निर्गत कराने हेतु अंचल कार्यालय ओरमांझी रांची के यहाँ आवेदन दिया गया, तब पता चला कि केवल प्लॉट नं0– 385 रकबा–47 डी0 का ही लगान रसीद निर्गत किया जायेगा और प्लॉट नं0–386, रकबा–10 डी0 का रसीद निर्गत नहीं किया जायेगा, क्योंकि प्लॉट नं0–386, रकबा–10 डी0 का रसीद मधुकर सिंह, पिता–अयोध्या सिंह एवं एवं रकबा–10 डी0 का रसीद कशिश डेवलपर्स लिमिटेड के नाम से निर्गत हो रहा है, जबकि खतियान में उक्त प्लॉट नं0–386 का कुल रकबा–10 डी0 ही है। तत्पश्चात आवेदक इसका कारण जानने का प्रयास किया तब पता चला कि मधुकर सिंह विपक्षी सं0–1 और कशिश डेवलपर्स लिमिटेड विपक्षी सं0–2 के दोनो के नाम से प्लॉट नं0–386 रकबा–10–10 डी0 का दो अलग–अलग जमाबंदी अंचल कार्यालय के पंजी–II में चला आ रहा है। जिसका कारण आवेदक के द्वारा पुछा गया परन्तु अंचल कार्यालय ओरमांझी, रांची के द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हो पाया, इस कारण आवेदक ने इस आवेदन के द्वारा यह प्रार्थना किया गया कि विपक्षी संख्या–1, मधुकर सिंह, पिता–अयोध्या सिंह एवं विपक्षी सं0–2 कशिश डेवलपर्स लिमिटेड के नाम मालगुजारी रसीद का निर्गत किया जाना रोका जाए और आवेदक के पिता के नाम से रसीद निर्गत किया जाए, जैसा कि पूर्व में निर्गत होता आ रहा था। वर्तमान में भी केवल आवेदक का ही उक्त खाता नं0–72, प्लॉट नं0–386 का कुल रकबा– 10 डी0 भूमि पर दखल कब्जा है और प्रत्येक वर्ष पूर्व की भांति आवेदक के द्वारा

धान की खेती की जा रही है।

इस न्यायालय के द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत किया गया परन्तु प्रतिवादी सं0–1. मधुकर सिंह, पिता– अयोध्या सिंह, निवासी सिंह मोड़, कल्याणपूर हटिया, थाना– जगरनाथपूर, जिला–रांची एवं प्रतिवादी सं0–2 कशिश डेवलपर्स लिमिटेड, ओल्ड ए0जी0 कॉलोनी, कडरू, थाना–आरगोड़ा, जिला–रांची ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखे।

न्यायलय के द्वारा संबंधित अंचल कार्यालय ओरमांझी रांची से पत्रांक सं0–5428(ii)/रा0 द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गई तदोपरांत अंचल कार्यालय ओरमांझी से इस संबंध में उनके पत्रांक 940(ii) दिनांक 02.09.2022 को अंचल अधिकारी ओरमांझी के द्वारा संबंधित राजस्व उपनिरक्षक/अंचल निरक्षक एवं अंचल अमीन से इस संबंध में जांच कराकर प्रतिवेदन इस न्यायालय को समर्पित किया गया है, उनके जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–हुटुप के राजस्व पंजी–II के भाग–3 के पेज नं0–246 में पंजी–II रैयत सलीमुद्दीन, पिता– शेख रोजन, खाता नं0–72, प्लॉट नं0–386, रकबा– 10 डी0 भूमि, लगान 1.25 रू0 के साथ जमाबंदी कायम था। जो बिकी होकर पंजी–II के भाग–6 के पेज नं0–129 में मधुकर सिंह, पिता–अयोध्या सिंह, के नाम से दाखिल–खारिज वाद सं0–529आर/2010–11, द्वारा नामांतरण होकर उक्त खाता नं0–72, प्लॉट नं0–386, रकबा–10 डी0 भूमि लगान 5.00 के साथ जमाबंदी संधारित किया गया है। इसके पश्चात उक्त खाता नं0–72, प्लॉट नं0–386, रकबा– 10 डी भूमि को कशिश डेवलपर्स लिमिटेड, के द्वारा क्रय कर अपने नाम से दाखिल–खारिज वाद सं0–370आर27/2011–12 के अनुसार नामांतरण किया गया है, पंजी–II के भाग–6 के पेज नं0–219 में दर्ज है।

अंचल कार्यालय ओरमांझी के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा दी गई दस्तावेज के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक के पिता– शेख सलीमुद्दीन तत्कालीन जमींदार ठाकुर तिलकधारी सिंह, पिता–बुढ़न सिंह, से खरीदगी केवाला सं0–2219, वर्ष 1936 ई0 को उक्त खाता नं0–72, प्लॉट नं0–386, रकबा–10 डी0 जमीन को प्राप्त किये हैं। ग्राम पंचायत इरबा के मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली के अवलोकन से पता चलता है कि शेख सलीमुद्दीन अपने पीछे छः पुत्र मो0 जलालुद्दीन अंसारी उर्फ मो0 जमालुद्दीन अंसारी (आवेदक) वगैरह को छोड़कर सवर्गवास कर गये हैं। उपरोक्त जमीन के संबंध में पुर्व में मधुकर सिंह, पिता–अयोध्या सिंह, निवासी सिंह मोड़, कल्याणपूर हटिया, थाना–जगरनाथपूर, जिला–रांची किये गये दाखिल–खारिज वाद सं0–529आर27/2010–11 में विकेता के रूप में केवल सलामत अंसारी, पिता– शेख सलीम पंजी R-27 में दर्ज है, जो विधि सम्मत नहीं है। स्थानीय जांच–पड़ताल एवं ग्रामीणों से पुछ–ताछ एवं अंचल

निरक्षक एवं अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त खाता–72, प्लॉट नं0–386, रकबा–10 डी0 जमीन पर आवेदक मो0 जलालुद्दीन अंसारी उर्फ मो0 जमालुद्दीन अंसारी का दखल कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार मधुकर सिंह, एवं कशिश डेवलपर्स लिमिटेड, का दखल कब्जा उनकी खरीदगी उक्त खाता नं0–72, प्लॉट नं0–386, रकबा–10 भूमि पर नहीं है।

द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी वह न तो न्यायालय में उपस्थित हुए न ही अपना पक्ष रखें।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी ओरमांझी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी ओरमांझी को निदेश दिया जाता है कि मौजा–हुटुप के पंजी–II के वोल्युम 03 पृष्ठ सं0–246 में जमाबन्दी रैयत सलीमुद्दीन के नाम से संधारित करने एवं लगान रसीद निर्गत करने के संबंध में आवश्यक जांचोपरान्त विधि–सम्मत कार्रवाई किया जाए।

इस आदेश की प्रतिलिपि अंचल अधिकारी ओरमांझी रांची को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

28/1/23
अपर समाहर्त्ता
राँची।

28/1/23
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 12:05:45 +05:30
Location: 192.168.2.175